न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 02/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री शबाज खान पुत्र श्री सिकन्दर खान फर्म-अमेरिकन फ्राईड चिकन, 5th B रोड, सरदारपुरा जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –

1. प्रार्थी की ओर से श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आगा खान सिन्धी व श्री महेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 23.05.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री शबाज खान पुत्र श्री सिकन्दर खान, फर्म-अमेरिकन फ्राईड चिकन, 5th B रोड, सरदारपुरा जोधपुर के विरूद्ध श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को दिनांक 25.01.2024 को पेश किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 09.02.2024 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 14.03.2024 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2024 को जिला रसद कार्यालय में प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर रसद विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा अमेरिकन फ्राईड चिकन, 5th B रोड, सरदारपुरा जोधपुर पर पहुंच कर जांच व निरीक्षण करने पर रेस्टोरेन्ट में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग करना पाया गया। मौके पर घरेलु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.24 13:44:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

गैस सिलेण्डरों के संबंध में किसी प्रकार के विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	0631576 E	15.8 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	इण्डेन	181523 T	15.5 कि.ग्रा.	16.5 कि.ग्रा.	1.0 कि.ग्रा.
3.	इण्डेन	70627 S	15.8 कि.ग्रा.	22.0 कि.ग्रा.	6.2 कि.ग्रा.

उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री गिरधारीराम पुत्र श्री चोगाराम उम्र 43 वर्ष हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर मरूधर एच.पी.गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का भण्डारण व इस्तेमाल किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थी के घर पर बहन की सगाई का घरेलू कार्यक्रम होने के कारण गैस सिलेण्डर की आवश्यकता थी इस कारण प्रार्थी अपने घर के सिलेण्डर भरवाने के लिए अपने वाहन में रखकर लाया था तथा इन्हे कुछ समय के लिए अपनी दुकान में रख दिये थे जिनका कोई दुरूपयोग नहीं किया गया था इसी समय दुकान का निरीक्षण विभाग द्वारा किया गया ओर 03 घरेलू सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। प्रार्थी अपनी फर्म में व्यवसाय के लिए हमेशा कॉमर्शियल सिलेण्डर का ही उपयोग करता है। अतः अप्रार्थी द्वारा जब्त 3 घरेलू सिलेण्डर वापस लौटाये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच 3 घरेलू सिलेण्डर के बारे में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये न ही घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है जिसके कारण उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.24 13:44:45 IST
Reason: SelfAttested

उपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री आगा खान सिन्धी की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत धारा 6 बी के तहत दिये गये नोटिस का न्यायालय को दिये गये अपने लिखित जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को अप्रार्थी फर्म को सुपुर्दगी आदेश करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा विभागीय पेरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी द्वारा तीनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को रेस्टोरेन्ट में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में उपयोग में लिया जा रहा था। इस प्रकार घरेलू गैस का संग्रहण कर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन पाते है। अतः प्रार्थी द्वारा जब्तसुदा 03 (तीन) घरेलू गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने एवं नियमानुसार उचित प्रक्रिया के तहत इनका निस्तारण कर प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये जाते है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करे। आदेश की प्रति संबंधित को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.05.24 13:44:45 IST
Reason: SelfAttested